सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/DEV-1784/RJ/4/2023-ESDW** दिनांक: **19.06.2023**

सेवा में,

डॉ. इन्द्रजीत यादव,
जिला कलेक्टर,
जिला प्रतापगढ़
मिनी सचिवालय प्रतापगढ़,
राजस्थान
ई-मेल: dm-pra-rj@nic.in

विषय: प्रक्रियाधीन नामांतरण संख्या 353 दिनांक 05.05.2023 को तत्काल प्रभाव से रोक कर निरस्त करवाने एवं दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाही हेतु श्री नंदलाल मीना, आबकारी रोड, अहीर मोहल्ला, जिला- प्रतापगढ़, राजस्थान की और से दिनांक 09.05.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री नंदलाल मीना से दिनांक 09.05.2023** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर **सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।**

संलग्न यथोपरि.

(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री नंदलाल मीना,**
   आबकारी रोड, अहीर मोहल्ला,
   जिला- प्रतापगढ़,
   राजस्थान
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।